न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 31/22 दायरा दिनांक 24.06.2022

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1–हसमुख पुत्र रामकिशन जाति किराड निवासी देवरी तह0 शाहावाद जिला बारां राज0
2–उत्तम पुत्र रामकिशन जाति किराड निवासी देवरी तह0 शाहावाद जिला बारां राज0

वादीगण

बनाम

1–रामोबाई पुत्री दयाचन्द पत्नि राधेश्याम जाति किराड निवासी महोदरा तह0 शाहावाद जिला बारां राज0
2–विधाबाई पुत्री दयाचन्द पत्नि पांचूलाल जाति किराड निवासी नारायनखेडा रोड समरानिया तह0 शाहावाद जिला बारां राज0
3–गुड्डीबाई पुत्री दयाचन्द पत्नि रामजीलाल जाति किराड निवासी जखोनी तह0 शाहावाद जिला बारां राज0
4–राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब शाहाबाद जिला–बारां राज0

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0 एक्ट 1955

प्राथमिक–निर्णय दिनांक– 16.07.2024

उपस्थित – वादीगण की ओर से–श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से – एकपक्षीय

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम जखोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान में खाता संख्या 183 की आराजी ख0नं0 49/1 रकबा 25.01 बीघा व ख0नं0 182/477 रकबा 8.14 बीघा किता 2 कुल रकबा 33.15 बीघा एवं ग्राम बहराई के खाता संख्या 128 के ख0नं0 17/693 रकबा 16.04 बीघा कृषि आराजीयात स्थित है। जिसे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। विवादित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के संयुक्त खाते में दर्ज है। जखोनी की आराजीयात में वादीगण का हिस्सा 1/5 दर्ज है। ग्राम बहराई की आराजी में वादीगण हिस्सा 1/5 दर्ज है। ग्राम बहराई की आराजी में वादीगण की नानी करई बेवा दयाचन्द का हिस्सा 1/5 दर्ज है करई का आज से 4–5 वर्ष पूर्व निधन हो गया है जिनका फोती नामान्तरकरण खुला है वादीगण एवं प्रतिवादी 1 ता 3 उनके वारिस/कायम मुकाम है जिनमें हिस्सा समान रूप से वादीगण तथा प्रतिवादीगण को प्राप्त होने से ग्राम बहराई की आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/4 होता है। विवादित आराजी का वादीगण तथा प्रतिवादीगण का रिकार्ड में बंटबारा नहीं हुआ है लेकिन आपसी सहमति से अपने हिस्से की जमीन को काश्त कर रहे हैं वादीगण कृषि सुधार करना चाहते हैं जो बिना विभाजन के संभव नहीं है। वादीगण ने दिनांक 20.06.2022 को प्रतिवादीगण से विभाजन कराने को कहा तो प्रतिवादीगण तैयार नहीं हुये और कहने लगे कि जहां हमें अच्छा लगेगा काश्त करेंगे

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.07.18 16:32:14 IST
Reason: SelfAttested

16/07/2024

और विवादित आराजी में से एक इंच भूमि भी तुम्हे काश्त नहीं करने देंगे। इस कारण वादीगण ग्राम जखेनी की आराजीयात में से अपने हिस्सा 1/5 को एवं बहराई की आराजी में से हिस्सा 1/4 को अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी के सिद्वान्त पर विभाजन करा प्रथक से खाता दर्ज कराने के अधिकारी हैं। वादकारण दिनांक 20.06.22 को उत्पन्न हुआ। वाद का श्रीमान न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद उचित न्यायशुल्क पर अवधिमध्य पेश है। प्रतिवादी क्रम 4 सर्वोच्च भूस्वामी होने से वाद में पक्षकार हैं। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर विवादित आराजीयात ग्राम जखोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान में खाता संख्या 183 की आराजी ख0नं0 49/1 रकबा 25.01 बीघा व ख0नं0 182/477 रकबा 8.14 बीघा किता 2 कुल रकबा 33.15 बीघा में वादीगण हिस्सा 1/5 एवं ग्राम बहराई के खाता संख्या 128 के ख0नं0 17/693 रकबा 16.04 बीघा में वादीगण हिस्सा 1/4 का राजस्व रिकार्ड में अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी के सिद्वान्त पर विभाजित कर प्रथक खाता दर्ज करें तदानुसार नक्शा तरमीम कर विभाजित हिस्से पर कब्जा दिलाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीक्रम 1,2,3 के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी की ओर से साक्ष्य में वादी हसमुख के बयान कराये तथा दस्तावेज नकल जमाबंदी ग्राम जखोनी सम्वत 2073–76 खाता संख्या 183 को प्रदर्श 1, गिरदावरी ग्राम जखोनी को प्रदर्श 2, नकल जमाबंदी ग्राम बहराई सम्वत 2070–73 खाता संख्या 128 को प्रदर्श 3 तथा गिरदावरी ग्राम बहराई को प्रदर्श 4 प्रदर्शित कराया।

वहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण ने विवादित आराजी ग्राम जखोनी तहसील शाहाबाद खाता संख्या 183 आराजी ख0नं0 49/1 रकबा 25.01 बीघा व ख0नं0 182/477 रकबा 8.14 बीघा किता 2 कुल रकबा 33.15 बीघा में अपना हिस्सा 1/5 होने का तथा ग्राम बहराई तहसील शाहाबाद खाता संख्या 128 आराजी ख0नं0 17/693 रकबा 16.04 बीघा में हिस्सा 1/5 होने का कथन किया है तथा ग्राम बहराई के विवादित आराजी खाते में दर्ज खातेदार करई बेबा दयाचन्द का फोत होना कथन कर करई के दर्ज हिस्सा 1/5 का वादीगण व प्रतिवादीगण को वारिस/कायम मुकामान बताते हुये वादीगण का हिस्सा 1/4 होना कथन कर विभाजन चाहा है। संलग्न जमाबंदी ग्राम जखोनी प्रदर्श 1 अनुसार विवादित आराजी खाता संख्या 183 आराजी ख0नं0 49/1 रकबा 25.01 बीघा व ख0नं0 182/477 रकबा 8.14 बीघा किता 2 कुल रकबा 33.15 बीघा में तथा जमाबंदी ग्राम बहराई प्रदर्श 2 अनुसार विवादित आराजी खाता संख्या 128 आराजी ख0नं0 17/693 रकबा 16.04 बीघा में वादीगण का हिस्सा 1/5 दर्ज है, जो धापीबाई के स्थान पर दर्ज किया गया है। ग्राम बहराई ग्रामदानी गांव है जिसके सम्बन्ध में काननून वाद की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इस कारण वादीगण विवादित आराजी खाता संख्या 128 आराजी ख0नं0 17/693 रकबा 16.04 बीघा ग्राम बहराई तहसील शाहाबाद की हद तक इस न्यायालय से

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.07.18 16:32:14 IST
Reason: SelfAttested

16/07/2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज.)

कोई अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नहीं है। विवादित आराजी खाता संख्या 183 आराजी ख0नं0 49/1 रकबा 25.01 बीघा व ख0नं0 182/477 रकबा 8.14 बीघा किता 2 कुल रकबा 33.15 बीघा ग्राम जखोनी तहसील शाहबाद में वादीगण का हिस्सा 1/5 निहित होकर खाता दर्ज है, जिसका विभाजन कराने के वादीगण वैध हकदार पाये जाते हैं।

अतः वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 183 आराजी ख0नं0 49/1 रकबा 25.01 बीघा व ख0नं0 182/477 रकबा 8.14 बीघा किता 2 कुल रकबा 33.15 बीघा ग्राम जखोनी तहसील शाहबाद में से वादी हिस्सा 1/5 का अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी कि सिद्वान्त पर विभाजन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार शाहावाद वादीगण तथा प्रतिवादीगण के कब्जे को ध्यान में रखते हुये मौके पर अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी के सिद्वान्त पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करें। तद्नुसार प्राथमिक डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

16/07/2024

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद जिला बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.07.18 16:32:14 IST
Reason: SelfAttested